

## न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी: डॉ. रविन्द्र गोस्वामी, I.A.S.

प्रकरण संख्या -6/2018 (आवन्तन निरस्तीकरण)

GCMS No. 2018/00057

सरकार जयें तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा

--प्रार्थी.

बनाम

नन्दा आत्मज घांसी कहार निवासी कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा

--अप्रार्थी.



प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अतर्गत आवंटन निरस्त करने बाबत।

उपस्थित-

1. परोकार सरकार

निर्णय


दिनांक:- 28 /08/2024

1. प्रकरण के सम्बन्ध में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार आवंटी अप्रार्थी नन्दा आत्मज घांसी को ग्राम कैथून तहसील लाडपुरा के आराजी खसरा नम्बर 2011 रकबा 0.40 हे0 भूमि कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी। पटवारी रिपोर्ट अनुसार आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा काशत नहीं कर ईट भट्टा संचालित कर अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में लिया जाने से आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की जाने से अप्रार्थी को किये गये उक्त आवंटन को आवंटन नियम 14(4) के तहत खारिज कराने हेतु प्रकरण इस न्यायालय में पेश किया गया।
2. प्रकरण पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी आवंटी की तलबी हेतु नोटिस जारी किया गया। नोटिस बाद तामिल प्राप्त। आवंटी अप्रार्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर परोकार सरकार की एकपक्षीय बहस सुनी।
3. परोकार सरकार द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया है कि अप्रार्थी को ग्राम कैथून तह0 लाडपुरा की नम्बर 2011 रकबा 0.40 हे0 भूमि कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन की गई थी। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना में कब्जा काशत नहीं कर आवंटन शर्तों का उल्लंघन किया जाकर ईट भट्टा संचालित किया जा रहा है। अप्रार्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से स्पष्ट है कि उनके द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा काशत नहीं किया जा रहा है। अतः प्रार्थी तहसीलदार का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के हक में किया गया आवंटन निरस्त फरमाया जावे।
4. हमने परोकार सरकार की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी को ग्राम कैथून तहसील लाडपुरा की खसरा नम्बर 2011 रकबा 0.40 हे0 भूमि कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी किन्तु अप्रार्थी द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा काशत नहीं अकृषि प्रयोजनार्थ ईट भट्टा संचालित करने से तथा आवंटन शर्तों का उल्लंघन करने से तहसीलदार लाडपुरा द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4)

जिला कलेक्टर  
कोटा

के तहत प्रस्तुत किया है । अप्रार्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से जाहिर है कि उनके द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा काशत नहीं कर आवंटन शर्तों का उल्लंघन किया है । इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा आवंटन शर्तों की अवहेलना की गई है । अतः प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाते हैं ।

5. परिणामस्वरूप प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) स्वीकार किया जाकर ग्राम कैथून तहसील लाडपुरा की आराजी खसरा नम्बर 2011 रकबा 0.40 हे0 भूमि आवंटी अप्रार्थी के कब्जे काशत में नहीं होकर अकृषि प्रयोजनार्थ ईट भट्टा के उपयोग में लेने से आवंटन शर्तों का उल्लंघन पाया जाने के कारण अप्रार्थी के हक में किया गया कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन निरस्त किया जाकर तहसीलदार लाडपुरा को आदेश दिये जाते हैं कि उक्त भूमि सिवायचक दर्ज करते हुए कब्जेराज लेवें ।
6. निर्णय आज दिनांक 28.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

  
(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)  
जिला कलक्टर, कोटा  
जिला कलक्टर  
कोटा

